(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3 (18)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/429 **Dated: 16/7/20**

Notification No. 72/2019- State Tax

No. F.3 (18)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR)code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(18)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/429 **Dated: 16/7/20**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.

(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली–110 002

सं.फा. 3(18)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस–IV/29 दिनांक: 16/7/20

अधिसूचना संख्या 72/2019–राज्य कर

सं.फा. 3(18)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डी.एस. IV - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यूआर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुनील सहगल)
उप सचिव– IV (वित्त)

सं.फा. 3(18)/वित्त(राजस्व–I)/2020–21/डीएस– IV/29 दिनांक: 16/7/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।

(सुनील सहगल)
उप सचिव– IV (वित्त)